

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-सन्तान/2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री मदन सिंह, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डवा, जिला चूरु जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.09.1998 है तथा राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 07.09.2007 को पूर्ण करली है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88)/एफडी/रूल्स/2008-11 दिनांक 06.10.2015 एवं 20.11.2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण 5 वर्ष पश्चात दिनांक 07.09.2012 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2400 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-सन्तान/2018/523

दिनांक : 05/03/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डवा, चूरु।
3. श्री मदन सिंह, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर